



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2503]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/ अग्रहायण 3, 1937

No. 2503]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2015

का.आ. 3157(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) के खण्ड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्माण उपस्कर यानों को, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 47 के उपनियम (3), नियम 49 के उपनियम (2) और नियम 126-ग के उपबंधों से 31 मार्च, 2016 तक छूट देती है।

[फा. सं. आरटी-11028/14/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2015

S.O. 3157(E).—In exercise of the powers conferred by clause(a) of sub-section (3) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts construction equipment vehicles from the provisions of sub-rule (3) of rule 47, sub-rule (2) of rule 49 and rule 126-C, of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 upto 31st March, 2016.

[F. No. RT-11028/14/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.